Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

F.No.C-35011/01/Circular/2010-Admn.(P)/ 22nd Oct., 2019

CIRCULAR

Sub: Accepting gifts/valuable articles etc. is derogatory from Members of Public on occasion of festivals – regarding

Rule 13 of CCS (Conduct), Rules 1964 prohibits acceptance of any gifts, valuable articles, etc. on the occasion of festivals, marriages by any Government Servant from the members of public or otherwise. Rule 3(1)(iii) ibid, lays down that every Government Servant shall at all times do nothing which is unbecoming of a Government Servant. Any kind of gift, articles even when voluntarily offered by any members of public is clearly a violation of these rules and any Government Servants indulging in this malpractice shall render themselves liable for action for their misconduct for contravening the provisions of these rules.

02. All the employees are hereby warned that demand or acceptance of any kind of gifts or valuable articles from the member of public even on the occasion of festival should in no case be resorted to. Any breach of these directives by any Government Servant would result in serious consequences and deterrent action would be taken against such Government Servant who is found guilty of indulging in this malpractice.

This issues with the approval of Competent Authority, Central Pollution Control Board.

(R.D. PANDEY)
SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER

Distribution:

1. All Divisional Head at H.O. : with a request to circulate it among the employees working under them for strict compliance.
2. All R.Ds. : with a request to circulate this for compliance by the employees posted in RDs.
3. D.H. Building Division : with a request to direct the security staff that visitors should not be allowed to carry any gift items inside the Building premises.
4. PS to CCB
5. PS to MS
6. D.H IT Division : for uploading it on the Intra Portal
7. All Notice Board
8. AO's master file
9. O/o file

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

सं.सी-35011/01/परिपत्र/2010-प्रशा.(का.) 283 — दिनांक 22.10.2019

परिपत्र

विषय: त्योहारों के अवसर पर जनता से उपहार/कीमती वस्तुएं आदि स्वीकार करना अनादरपूर्वक होने के संबंध में।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 13 किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जनता अथवा अन्य किसी से भी त्योहारों, शादियों आदि के अवसर पर कोई भी उपहार, कोई कीमती वस्तु ग्रहण करना निषिद्ध करता है। उक्त का नियम 3 (1) (iii) भी यही व्यक्त करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी समय ऐसा नहीं करेगा, जो उसको शोभा न दे। किसी भी किस्म के उपहार, वस्तु, चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक आधार पर ही क्यों न दी गई हो, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसे स्वीकार करना इस नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है और यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस कदाचार में संलिप्त होता है, तो इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

02. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि त्योहारों के अवसर पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के उपहार अथवा कीमती वस्तुओं की मांग/ ग्रहण करने की स्थिति में बोर्ड की ओर से कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। इस निदेश के उल्लंघन होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे तथा ऐसे सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो इस कदाचार में संलिप्त पाया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(आर.डी.पान्डे)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. सभी प्रभाग प्रभारी, मुख्यालय — कृपया इसे सख्ती से अनुपालनार्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशालयों के निदेशक — कृपया इसे कड़ाई से अनुपालनार्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
3. प्रभारी, भवन प्रभाग — कृपया सभी सुरक्षा गार्डों को निदेश दें कि आगंतुकों को कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के उपहार लाने की अनुमति न दी जाए।
4. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग
7. सभी सूचनापट्ट
8. प्रशासन अधिकारी (का.) की मास्टर फाइल
9. कार्यालय आदेश फाइल